



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 17/2026

देशराज

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य ... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – दिनेश कुमार वर्मा

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 25**माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार वर्मा और राज्य-प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. यह याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं सहित दायर की गई है:

"(i) परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करते हुए, न्याय और साम्य हित में, विरोधी पक्षकारण को पंचायत- सदरपुर, परगना- सदरपुर, तहसील- महमूदबाद, जिला- सीतापुर में स्थित गाटा संख्या 178, क्षेत्रफल 0.0250 हेक्टेयर, पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया जाए।

(ii) परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करते हुए, न्याय और साम्य हित में, राज्य प्राधिकारियों को विरोधी पक्षकार संख्या 6 को गाटा संख्या 178, क्षेत्रफल 0.0250 हेक्टेयर, पर अतिक्रमण करने से रोकने का आदेश दिया जाए।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने लिखित निर्देशों के आधार पर सूचित किया है कि अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है और वाद

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संख्या टी202510640613971 (ग्राम सभा सदरपुर बनाम नंदलाल) के रूप में एक वाद पंजीकृत किया गया है, जो तहसीलदार, महमूदबाद, सीतापुर की न्यायालय में लंबित है।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, रिट याचिका का निस्तारण तहसीलदार, महमूदबाद, सीतापुर (प्रतिवादी संख्या 4) को वाद संख्या टी202510640613971 (ग्राम सभा सदरपुर बनाम नंदलाल) का विधि के अनुरूप तत्परतापूर्वक, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह माह की अवधि के अंतर्गत, निर्णय लेने के निर्देश सहित किया जाता है।

19 जनवरी, 2026

शुभंकर

(न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय)